

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

पञ्चम केस का 149/2007 ना-वाड
रतना वऽ अमनी
हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

दिनांक

08-16 पञ्चावली पेरा इई। वऽ कुलाय फरीदंग उपखेत्त। कऽ क
उत्तम पत्र दाखल करत चाहे ही कऽ क हेतु तऽ क
दिमा जाना हेतु वास्तु कऽ क हेतु पञ्चावली दिनांक 9-9-16
को पेरा ही है।

9-9-16 पञ्चावली पेरा इई। वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ
ने कऽ क करती चाही। वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ
वार-ते कादेरा हेतु पञ्चावली दिनांक 23-9-16 को पेरा ही
है।

23-9-16 पञ्चावली पेरा इई। वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ
के दाखल निर्णय नहीं (सिद्धांत) जा कऽ क। वास्तु कादेरा हेतु
पञ्चावली दिनांक 14-10-16 को पेरा ही है।

14-10-16 पञ्चावली पेरा इई। वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ
वादीगा ने कऽ क करती चाही। वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ
कऽ क करती चाही। वास्तु कादेरा हेतु पञ्चावली दिनांक
21-10-16 को पेरा ही है।

21-10-16 पञ्चावली पेरा इई। वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ वऽ
ने कऽ क के दो रात काड पत्र के तऽ क तऽ क वऽ क वऽ क
व कादऽ क के दाखल पत्र काड पत्र के रऽ क रऽ क
जाके ही इतऽ क ही है।

मैने पञ्चावली का तऽ क तऽ क (दिमा) तथा कऽ क पत्र
मगत (दिमा) जाया। विवादीगा तऽ क तऽ क तऽ क तऽ क
तऽ क तऽ क तऽ क तऽ क तऽ क तऽ क तऽ क तऽ क तऽ क
जादिन देह को नाक दर्ज रेकॉर्ड ही जरिमे इतऽ क तऽ क
1456 दिनांक 8-6-90 को दाखल विवादीगा के रतना,
दाखल, तऽ क तऽ क तऽ क तऽ क तऽ क तऽ क तऽ क तऽ क तऽ क
ही है।

उपखण्ड अधिकारी
मंडल जिला

दिनांक

इस। जिम्मेदारी तारीख प्रस्तुत राजस्व क्रॉस चेक जमा के डी
 की नकल कम्पन 2043 के 2046 के डेरी है प्रतिवादी क।
 द्वारा एक सनमान गाथा वादीगण के पक्ष में निष्पादित
 किया गया। किन्तु प्रतिवादी क। ने कम्पन एक व हिस्सा
 तथा कम्पन को प्राप्त होने पर सनमान गाथा के डेरी कलाया
 जिम्मेदारी तारीख प्रस्तुत सनमान गाथा की नकल EXP-6
 को डेरी है किन्तु राजस्व रेकर्ड में वादीगण का 1/2
 हिस्सा तथा प्रतिवादी क। व 2 का 1/2 हिस्सा रेकर्ड
 रेकर्ड है जिम्मेदारी तारीख प्रस्तुत राजस्व क्रॉस चेक
 जमा के डी की नकल कम्पन 2063 के 2066 के डेरी है
 प्रस्तुत इस्ताकेज एक कांड पड के क्रॉस चेक नकल के
 नकल है कि विवादीन काराजियाल वादीगण एवं प्रतिवादी
 के साथ 1 व 2 के क्रॉस चेक नकल वादीगण के रेकर्ड डेरी
 हिस्से व एक कडकास काराजियाल को डेरी जारत कर
 रहे है- तथा जरी के तहत नकल 1225 डिग्री
 7-9-86 के डेरी कुल नकल 13 नकल 18 बीघा 2 बिरवा
 नकल के नकल के नकल 510 डिग्री सीम के नकल
 कुल एक करके की नकल है। जिम्मेदारी तारीख प्रस्तुत
 इस्ताकेज राजस्व क्रॉस चेक जमा के डी की नकल कम्पन
 2043 के 2046 के डेरी है। प्रस्तुत तहत नकल क. 1456
 के द्वारा नकल नकल 587 के क्रॉस चेक नकल 18 बीघा
 2 बिरवा नकल 510 डिग्री सीम के नकल नकल के
 केवल नकल वादीगण के नकल एक डेरी ऐसी नकल के
 विवादीन काराजियाल केवल नकल वादीगण के नकल
 है प्रतिवादी क। ने एक सनमान गाथा के नकल के नकल
 किया कि प्रतिवादी क। व 2 का राजस्व रेकर्ड में नकल के
 किया है वह नकल किया है तथा विवादीन काराजियाल
 वादीगण की नकल है नकल एक प्रतिवादीगण का नकल

उपखण्ड अधिकारी
 मंडल जिला भीलवाड़ा

श्री
राम

हुमना या मजदूरी या इतिहास जल

नम्बर व तारीख
अडकाम जो इस
हुमना की तारीख
में जारी हुए

हम व हिस्सा नहीं है. इस कारण राजस्व रेकर्ड में
 112 हिस्से में प्रतिवादी का नाम दर्ज है. उसे वास्तव
 रेकर्ड में क्विलोपित करते हुए वादीगण राजस्व रेकर्ड
 में अपना नाम दर्ज कराई जा होकराही है क्योंकि
 प्रतिवादीगण ने वाद पत्र दे बख्खन है. हे वाम माउ जाम
 दाका प्रस्ताव दिया। इसके बाद नये दोरे दस्तावेजी
 कास्ट व जोरिद कास्ट प्रतिवादीगण के प्रस्तुत नहीं.
 नये दस्तावेज परवी दोना स्वीकार नहीं दोरे के एक वर
 जोरिवाही का दोरे कास्ट दिया गया।
 उपरोक्त विवेचन के कारण एक वादीगण अपने
 वाद पत्र में किट कराई है कफल रहे के कामका
 वादीगण का वाद पत्र स्वीकार दिया जाता उचित
 समझना है. इस:

०० दोरे ००

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार दिया जाकर
 डिडी कड्ड वादीगण विरुद प्रतिवादी नं० 1 व 2 में
 करु कासाय भी जारी भी जारी है कि जात भजावला
 लखसिप भोडम जिला भीलवाड़ा में स्थित है।
 नं० 89, 93, 94, 1368, 1369, 1370, 1371,
 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1452 कुल मिला
 12 रकबा 18 बीघा 2 सिरका दोरे का वादीगण के
 रवातेदार कास्टकाय घोषित दिया जाता है. उनी
 रउकाय राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज करा
 हुए प्रतिवादी नं० 1 व 2 का नाम राजस्व रेकर्ड में
 क्विलोपित दिया जाके। रवनी फरीदो अपना-अपना बहक
 करे, लखसिप डिडी जारी है। पढावली के काम रउकाय
 भी जाकर दफतर दारबिस है।

Handwritten signature
 उपखण्ड अधिकारी
 मांडल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी:- श्री देवीसिंह रावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-149/2007 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-92ए-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1-श्री रतना पिता भज्जा भील, उम्र बालिग निवासी भगवानपुरा तहसील मांडल

2-मु0 नानूडी पत्नि रामा भील, उम्र बालिग निवासी हरजी खेड़ा तहसील मांडल

3-मु0 चांदी पुत्री नानू भील पत्नि कैलाश भील, उम्र बालिग निवासी भगवानपुरा

तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

---वादीगण

बनाम

1-मु0 जमनी बेवा लूम्बा भील, उम्र बालिग निवासी भगवानपुरा तहसील मांडल

2-श्री देवी मुतबन्ना लूम्बा भील, उम्र बालिग निवासी डोडवानियों का खेड़ा तहसील

मांडल जिला भीलवाड़ा मृतक के कायम मुकाम:-

2/1-लक्ष्मण पिता देवी भील, उम्र बालिग निवासी डोडवानियों का खेड़ा मृतक के कायम मुकाम:-

2/1क-शंकर पिता लक्ष्मण भील, उम्र बालिग निवासी डोडवानियों का खेड़ा

2/1ख-रमेश पिता लक्ष्मण भील, उम्र बालिग निवासी डोडवानियों का खेड़ा

2/1ग-गोपाल पिता लक्ष्मण भील, उम्र बालिग निवासी डोडवानियों का खेड़ा

2/1घ-मु0 गीता पत्नि लक्ष्मण भील, उम्र बालिग निवासी डोडवानियों का खेड़ा

तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

2/2-मांगी पत्नि देवी भील, उम्र बालिग निवासी डोडवानियों का खेड़ा तहसील मांडल

3-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा


---प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से श्री एकलिंग प्रसाद व्यास, एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से श्री सूरज सनाढ्य, एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 21.10.2016 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि - और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि - को दी जायें।

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम भगवानपुरा, पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी

नम्बर 89, 93, 94, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1457

कुल कित्ता 13 रकबा 18 बीघा 2 बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार



उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

घोषित किया जाता हैं। उसी अनुसार भूमि वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करते हुये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम राजस्व रेकार्ड में से विलोपित किया जावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करे।

(देवी सिंह रावत)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी,

मांडल जिला भीलवाड़ा



आज दिनांक 21.10.2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से

उपखण्ड अधिकारी

मांडल जिला भीलवाड़ा